

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

..... बनाम
जमोर **NCO**

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 144, 157 के काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 9 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
26/11/18	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई 144, 157 के जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/3/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p>14.3.18 पत्रावली आज पेश हुई। अर्थात् 2 का नोटिस कोर्ट तक प्राप्त हुआ है वकील जोधपुर सरीफ का पत्रावली पत्र आज की देर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। दिनांक 21/3/18 का पत्रावली</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	

पत्रावली का राजस्व वाद अन्तर्गत (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन मुकदमा नं. 144, 157 के काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 9 सन् 2017

उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

21/7/18

तारीख
स हुक्म
जारी हुए
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए ।

20/11/19

पत्रावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/
बैठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आवक
दिनांक 11/11/19 को पेश हो ।

रिडर

उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

4/11/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रवीण अग्र
वकील प्रवीण को पीए लम्पन पेश करने
हेतु अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली
वास्तविकी आयोग दिनांक 11/11/19 को पेश
हो ।

वकील अग्र
मोहन

11/11/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रवीण अग्र
वकील प्रवीण को दिनांक 20/8/18 से आदिनाम
नकल अग्र प्रवीण को पीए लम्पन पेश करने हेतु
निर्देशित किया जाता रहा है किन्तु आदिनाम तक
पीए लम्पन पेश नहीं किया। दिनांक 14/11/19 को
वकील प्रवीण को अतिरिक्त अवसर भी दिया जा
सुका है किन्तु पालना आदिनाम तक नहीं
की गई है। वकील प्रवीण को आग्रह है कि
लंबे समय अतिरिक्त अवसर वास्तविक पीए लम्पन शेष
अग्र प्रवीण को पेश करने हेतु दिया जाता है।
अन्य प्रवीण प्रजा की एक ले अविद्यमान राजेश
लालकी ने उपपत्र वास्तविक आदेश। नियम 10 CPC
का पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उपपत्र
की प्रति वकील प्रवीण (मूल प्रवीण पत्र) को उपपत्र
जोड़ि जावे। पत्रावली आयोग दिनांक 18/11/19 को वास्तविकी
वकील अग्र अविद्यमान उपपत्र पेश हो ।

वकील अग्र
मोहन

13/11/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रवीण अग्र
अग्र प्रवीण को उपपत्र अग्र वकील प्रवीण को/प्रवीण को
आपासत्र में बार-2 आवाजे लजाई गयी दीपेश

Contd...

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

शब्दों में भाषा लगाई गई किन्तु प्रार्थना पत्र अथवा
अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्तु।
पुनः 3:30 को पहर में भाषा लगाई गई
किन्तु कोई उपस्थित नहीं।
म-रा. में शा. 5 वजे अतिरिक्त वार भाषा लगाई
गई किन्तु प्रार्थना पत्र अस्तु। वार - 2 भाषा
लगाते के समय कोई उपस्थित नहीं। साथ
ही प्रकरण में शा. समन्त की उपस्थित हो। अतः
प्रकरण को प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रमाणित
अस्तु के कारण अदालत में अदक खजरी तथा
शा. समन्त के अभाव में 0-9-R-5 CPC के
तहत खजरी किया जाता है। फिलहाल केवल
शुमार होकर नम्बर से काम हो।
निरीक्ष आज दिनांक 18/11/19 को प्रथम आशान्त
में सुनाया गया।

सहायक न्यायाधीश
महाराष्ट्र जज

